कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्प / 2015 / 111

शिवपुरी, दिनांक 20/5/15

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक / 621 / 03 / नियम / चार / भोपाल दिनांक 3–9–2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रेषित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत लोअर ओर बांध के कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान तथा वनसंरक्षक, वनमण्डल शिवपुरी के पत्र क्रमांक / डी.एम. / 2306 दिनांक 14–5–2015 एवं वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल अशोकनगर के पत्र क्रमांक / डी.एम. / 1561 दिनांक 13–5–2015 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 07 वर्षीय (वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक) कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है –

परियोजना	वनमण्डल	क्षेत्रफल (क्षेत्रफल है. में)	राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5
लोअर ओर बांध वृहद सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	1350 वन भूमि	1079.92	-
लोअर ओर बांध वृहद सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	4325 राजस्व भूमि	3659.11	-
	योग--	5675 वन / राजस्व भूमि	4739.03	

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे –

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित कलेक्टर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाय एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अथवा अन्यथा की स्थिति में आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जायें।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बाबत प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. कार्य समाप्ति उपरांत कार्य समाप्ति प्रतिवेदन भेजें।

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी